संख्याः 2515/2020/सीएक्स-3

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,

मुख्य सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज

पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर

समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

गृह(गोपन) अनुभाग-3 दिनांकः25 दिसम्बर, 2020

विषयः- नववर्ष के कार्यक्रमों में कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम हेतु विशेष सजगता/सावधानी बरते जाने व कोविड प्रोटोकाल/गाइडलाइन्स का पूर्णतः पालन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत गाइडलाइन्स के क्रम में गृह (गोपन) अनुभाग-3 से निरंतर दिशा-निर्देश जारी किये जाते रहे हैं। अद्यतन दिशा-निर्देश गृह (गोपन) अनुभाग-3 के पत्र संख्या- 2358/2020-सीएक्स-3, दिनांक 30.11.2020 द्वारा जारी किए गए हैं।

2. अवगत है कि नववर्ष के उपलक्ष्य में होने वाले सामूहिक कार्यक्रमों व अन्य आने वाले कार्यक्रमों में लोगों का अधिक संख्या में एकत्रित होना स्वाभविक है, जिससे कोरोना संक्रमण के प्रसार की सम्भावना रहेगी।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यक्रमों में विशेष सजगता/सावधानी बरतते हुए पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों/कोविड-19 के प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन कराने के साथ ही निम्नवत कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करेः-

(i) नववर्ष के अवसर पर मनाये जाने वाले कोई भी कार्यक्रम सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/कमिश्नरेट जिलों में पुलिस कमिश्नर को पूर्व सूचना देकर ही आयोजित किए जाएं। अनुमति के समय ही आयोजक का नाम, पता, मोबाइल नम्बर प्राप्त कर सूचीबद्ध कर

लिया जाए तथा उनसे कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या भी प्राप्त कर ली जाए।

(ii) आयोजकों को उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों के सम्बन्ध में कोविड-19 से बचाव सम्बन्धी दिशा-निर्देशों से भलीभांति अवगत करा दिया जाए। यह स्पष्ट कर दिया जाए कि कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकाल तथा गाइडलाइन्स के अनुपालन का उत्तरदायित्व उन्हीं का होगा।

(iii) किसी बन्द स्थान यथा हाल/कमरे में कार्यक्रम होने की स्थिति में हाल/कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक तथा खुले स्थान/मैदान में कार्यक्रम होने की स्थिति में ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेन्सिंग, थर्मल स्कैनिंग, सेनिटाइजर एवं हैण्डवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनुमन्य किया जाए।

(iv) आयोजकों को कार्यक्रम आयोजन के दौरान जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों की निर्धारित संख्या एवं मास्क धारण करने तथा सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करने एवं कार्यक्रम स्थल पर थर्मल स्कैनिंग, हैण्डवाश एवं सैनिटाइजेशन कराये जाने के सम्बन्ध में अवश्य अवगत करा दिया जाए।

(v) नववर्ष के कार्यक्रमों के दृष्टिगत वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण की प्रभावी रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर पी0ए0 सिस्टम, लाउड हेलर आदि के माध्यम से अनवरत प्रचार-प्रसार कराया जाए।

(vi) जनता के व्यक्तियों को नववर्ष का पर्व सार्वजनिक स्थानों पर न मनाकर यथासम्भव अपने-अपने घरों में ही मनाए जाने के लिए प्रेरित किया जाए।

(vii) कार्यक्रम स्थलों के आस-पास समुचित पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करायी जाए।

(viii) सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यक्रम स्थलों पर यथावश्यक ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी सतत् निगरानी करायी जाए। कार्यक्रम स्थल पर मास्क न लगाने वाले व्यक्तियों पर अपेक्षित अर्थदण्ड लगाने जैसी कार्यवाही भी की जाए।

(ix) यू0पी0 112 के वाहनों का विशेष कार्यक्रम स्थलों पर आवश्यकतानुसार व्यवस्थापन किए जाने हेतु प्रभारी द्वारा अवश्य विचार कर तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(x) नववर्ष पर्व के दृष्टिगत भड़काऊ एवं विद्वेष फैलाने वाली भ्रामक अफवाहों की तत्परता से रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी अवश्य रखी जाए।

(xi) जनपद के स्थानीय अभिसूचना तन्त्र को और अधिक प्रभावी एवं सक्रिय कर दिया जाए।

(xii) मदिरा की दुकानों एवं बार आदि के आस-पास पर्याप्त पुलिस प्रबन्ध करते हुए आराजक एवं असामाजिक/आपराधिक तत्वों पर सतर्क एवं कड़ी निगरानी रखी जाए।

(xiii) होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, मुख्य मार्गों/बाजारों एवं चौराहों पर भी समुचित पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

(xiv) नववर्ष के दौरान रात्रि में दुपहिया, चार पहिया आदि के वाहन चालकों को प्रभावी चेकिंग (विशेष कर उनके शराब पिये होने की जांच) अवश्य करायी जाए। साथ ही उन्हें यातायात नियमों का सम्यक अनुपालन एवं स्वयं को सुरक्षित रहने हेतु शालीनता से जागरुक किया जाए।

कृपया उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव

संख्या व दिनांक तदैवः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कृपया उपरोक्त निर्देशों के अनुरुप चिकित्सा विभाग की ओर से जोनिंग गाइडलाईन्स जारी करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव, गृह